भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड

ANIMAL WELFARE BOARD OF INDIA

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार

Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Government of India

(पशुपालन और डेयरी विभाग)

(Department of Animal Husbandry and Dairying)

डॉ. अभिजित मित्र,
पशुपालन आयुक्त एवं
अध्यक्ष

फ़ा. सं. AC-02003/2/2025-AWBI

दि 03.06.2025

सेवा में

1. सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव

2. सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशक

विषय: अवैध परिवहन और पशु वध को रोकने हेतु अनुरोध के संबंध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में, यह कहना है कि केंद्र सरकार ने पशुओं के परिवहन नियम, 1978 (2001 और 2009 में संशोधित) और पशुओं के प्रति क्रूरता का रोकथाम (स्लॉटर हाउस) नियम, 2001 (2010 में संशोधित) को अधिसूचित किया है ताकि पशुओं पर अनावश्यक दर्द या पीड़ा को रोका जा सके। यह सर्वविदित है कि विशेष रूप से त्योहारों के दौरान बड़ी संख्या में पशुओं का अवैध रूप से परिवहन या वध किया जाता है। यह संज्ञान में लाया गया है कि पशुओं के परिवहन के दौरान, पशु मालिक द्वारा पशु कल्याण संबंधित कानूनों का पालन नहीं किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप पशुओं के प्रति क्रूरता होती है और कुछ मामलों में उनकी मृत्यु तक हो जाती है।

2. जैसा कि आप जानते हैं, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के अंतर्गत किसी भी पशु के साथ क्रूरता करना एक दंडनीय अपराध है। ऐसा उल्लंघन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48, 48(क) और 51A(ग) की भावना के भी विरुद्ध है।

3. पशु परिवहन नियम, 1978 (2001 और 2009 में संशोधित) और पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (वधशाला) नियम, 2001 (2010 में संशोधित) से संबंधित नियमों, परिपत्रों, परामर्श, न्यायालयों के आदेशों तथा अन्य संबद्ध कानूनों का संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट में संलग्न है।

4. अत: यह अनुरोध किया जाता है कि कृपया सभी संबंधित अधिकारियों को पशुओं के अवैध परिवहन या पशुओं की हत्या को रोकने के लिए पशु कल्याण के कानूनों के सख्त

...2

कार्यान्वयन के लिए सभी एहतियाती उपाय करने और पशुओं के कानूनों का उल्लंघन करने वाले अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दें। संबंधित अधिकारियों से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे पोस्टर, सोशल मीडिया, ट्विटर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अन्य रूपों के माध्यम से जनता को संवेदनशील बनाएं। यह भी अनुरोध है कि संबंधित अधिकारियों को उपरोक्त कानूनों के प्रवर्तन की स्थिति पर, तिमाही आधार पर एक विस्तृत रिपोर्ट बोर्ड को आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित करने का निर्देश दें।

इस संबंध में आपकी पुष्टि अत्यंत अपेक्षित है।

भवदीय,

(अभिजित मित्र)

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि: सूचनार्थएवं आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रस्तुत।

1. निदेशक, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पशुपालन विभाग।
2. सदस्य सचिव, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य पशु कल्याण बोर्ड।
3. सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी जिलों के आयुक्त, नगर निगम।
4. सूचना के लिए सचिव, एडब्ल्यूबीआई।

अनुलग्नक

1. भारतीय जीव-जंतु कल्याण बोर्ड (AWBI) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पशुपालन विभाग के सहायक निदेशक / उपविभागीय अधिकारी (जिला पशुपालन अधिकारी) या उससे उच्च पदस्थ अधिकारियों को पशु परिवहन (संशोधन) नियम, 2001 के नियम 96 के अंतर्गत प्रमाण पत्र जारी करने हेतु अधिकृत किया है। यह प्राधिकरण पत्र क्रमांक F.No.11/2010-COAWBI दिनांक 11 अगस्त 2010 द्वारा जारी किया गया था, और इसके पश्चात क्रमशः 9 अगस्त 2012, 25 जुलाई 2014 एवं 6 मई 2015 को पत्र जारी किए गए हैं। इसका उद्देश्य रेलवे और ट्रकों द्वारा प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाना तथा पशु परिवहन नियम, 1978 (संशोधित 2009 सहित) के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना है।

2. नियम 2(ख) के अनुसार, "वध" का तात्पर्य किसी पशु को भोजन के उद्देश्य से मारने या नष्ट करने से है और इसमें वध की तैयारी के लिए किए गए सभी कार्य और प्रक्रियाएं शामिल हैं। पशु क्रूरता निवारण (वधशाला) नियम, 2001 के नियम 3 के अनुसार, किसी नगर क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति पशु का वध केवल उस वधशाला में ही कर सकता है जो सम्बंधित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त या लाइसेंस प्राप्त हो। किसी गर्भवती पशु, 3 माह से कम उम्र के शावक वाली मादा, स्वयं 3 माह से कम उम्र के पशु या ऐसे किसी पशु का वध नहीं किया जा सकता जिसे पशु चिकित्सक द्वारा वध हेतु उपयुक्त घोषित नहीं किया गया हो।

3. भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन, ने दिनांक 06.08.2014 को आदेश संख्या 1-988/FSSAI/Import/2014 के माध्यम से निर्देश जारी किया है कि "पशु" उन जातियों में से होना चाहिए जिनमें (i) ओवाइन (Ovines), (ii) कैप्राइन (Caprines), (iii) सूइलाइन (Suillines), (iv) बोवाइन (Bovines) शामिल हैं और साथ ही मुर्गीपालन एवं मछली भी इसमें सम्मिलित हैं। इस सूची के अतिरिक्त किसी अन्य पशु का वध खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम एवं उसके नियमों के अंतर्गत अनुमन्य नहीं है। इसका अर्थ यह है कि ऊंटों का वध खाद्य प्रयोजन हेतु पूरी तरह प्रतिबंधित है। साथ ही, जहाँ भी गाय वध निषेध अधिनियम लागू है, वहाँ गायों का वध कानून का उल्लंघन माना जाएगा। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों का भी उल्लेख किया गया है।

4. बोर्ड द्वारा परिपत्र संख्या 9-2/2018-19/IC दिनांक 30.05.2022 (संलग्न प्रति) जारी किया गया, जिसमें वधशालाओं एवं मांस दुकानों के लिए नियामक अनुपालन को लागू करने और प्रचारित करने का अनुरोध किया गया।

5. पशु वध से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय एवं विभिन्न उच्च न्यायालयों के प्रमुख निर्णय निम्नलिखित हैं:

i. भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 16.11.1994 में सिविल अपील संख्या 1983 के 6791 से 6794 के साथ 1983 का 6790 में 'पश्चिम बंगाल राज्य' बनाम 'आशुतोष लाहिड़ी और अन्य' शीर्षक वाले मामले में आदेश पारित किया है।

ii. भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, एडब्ल्यूबीआई बनाम नागराज एवं अन्य, एस.एल.पी (सिविल)सं.2007 के 11686 का निर्णय दिनांक 7.5.2014 के शीर्षक वाले मामले में पशु अधिकार और संरक्षण कानूनों को बनाए रखने के लिए कानून प्रवर्तन अधिकारियों सहित राज्य की सभी एजेंसियों और साधनों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। इनका पालन न करना, इन कानूनों की अवहेलना के समान होगा।

iii. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, लक्ष्मी नारायण मोदी बनाम भारत संघ और अन्य, (W.P.(C) 309/2003) मामले में वधशालाओं के संबंध में व्यापक निर्देश जारी किए, जिनमें वधशालाओं का रिकॉर्ड बनाए रखना, संबंधित कानूनों का पालन सुनिश्चित करना, कचरा प्रबंधन (अपशिष्ट, अंतड़ियाँ आदि) की व्यवस्था करना तथा प्रत्येक राज्य में शहरी विकास विभाग के सचिव की अध्यक्षता में राज्य वधशाला निगरानी समिति का गठन शामिल है।

iv. केरल उच्च न्यायालय ने दिनांक 05.12.2005 को 'सिराज बनाम जिला कलेक्टर' (W.P. सं. 30754/2005) मामले में आदेश पारित किया।

v. कर्नाटक उच्च न्यायालय ने दिनांक 06.01.2009 को 'एनिमल राइट्स फंड बनाम कर्नाटक राज्य' (W.P. सं. 14432/2008) मामले में निर्णय पारित किया।

vi. मद्रास उच्च न्यायालय ने दिनांक 06.08.2014 को 'ब्लू क्रॉस बनाम तमिलनाडु राज्य एवं अन्य' (W.P. सं. 28313/2013) में यह निर्देश दिया कि "संबंधित प्राधिकरण वध नियमों एवं मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करें।"

vii. मद्रास उच्च न्यायालय ने दिनांक 06.04.2022 को पीपुल फार केटल इन इण्डिया बनाम तमिलनाडु राज्य एवं अन्य' (W.P. सं. 11519/2015) में यह आदेश दिया कि सभी प्रतिवादी ऊँटों की अवैध तस्करी एवं वध को रोकने हेतु समुचित कदम उठाएं।

उपरोक्त सभी आदेश हमारी वेबसाइट www.awbi.gov.in पर उपलब्ध हैं।

****

भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड

ANIMAL WELFARE BOARD OF INDIA

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार

Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Government of India

(पशुपालन और डेयरी विभाग)

(Department of Animal Husbandry and Dairying)

DR. ABHIJIT MITRA,
ANIMAL HUSBANDRY COMMISSIONER AND
CHAIRMAN

No. AC-02003/2/2025-AWBI Date: 03.06.2025

To

1. The Chief Secretary of all the States and UTs

2. The Director General of Police of all the States

Subject: Request to stop illegal transportation and illegal slaughtering of animals – regarding.

Sir/Madam,

With reference to the above cited subject, it is stated that the Central Government has notified the Transport of Animals Rules, 1978 (as amended in 2001 and 2009) and Prevention of Cruelty to Animals (Slaughter House) Rules, 2001 (as amended in 2010) to prevent unnecessary pain or suffering to animals. It is a fact that large numbers of animals are illegally transported or slaughtered for food especially during festivals. It is reported that during transportation of animals, the owner of the animals does not follow the animal welfare laws, which result in cruelty to the animals and even some of the animals die during transportation.

2. As you may be aware, cruelty to any animal is a punishable offence under the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960. Such violation is against the spirit of Article 48, 48 (a) and 51 A(g) of the Constitution of India.

3. The Brief of Transport of Animals Rules, 1978 (as amended in 2001 and 2009) and Prevention of Cruelty to Animals (Slaughter House) Rules, 2001 (as amended in 2010) alongwith the various circular, advisories, judgements and other relevant laws are attached at **Annexure**.

4. Therefore, it is requested to kindly direct all the concerned authorities to take all precautionary measures for strict implementation of the Animal Welfare laws to stop illegal transportation of animals or killing of animals and to take stringent action against the offenders violating the animal laws. The concerned authorities are also requested to sensitizing the public through posters, social media, twitter and other forms of electronic media. It is also requested to direct the concerned authorities to forward a detailed report on quarterly basis on the status of enforcement of the above laws, to the Board for taking further necessary action in the matter.

A line of confirmation in this regard is highly solicited.

Yours sincerely,

(**Abhijit Mitra**)

42 माइलस्टोन, दिल्ली-आगरा हाईवे, एन.एच.-2, बल्लभगढ़, फरीदाबाद-121004 (हरियाणा)

42 Milestone, Delhi-Agra Highway, NH-2, Ballabhgarh, Faridabad-121004 (Haryana)

Tel.: +91 129 2555700 | Email: support-awbi@gov.in | Website: www.awbi.gov.in

Encl.: as above

Copy to: for information and further necessary action please.

1. The Director, Animal Husbandry Department of all the States and UTs.
2. The Member Secretary, State Animal Welfare Board of all the States and UTs.
3. The Commissioner, Municipal Corporations of all District of all the States and UTs.
4. The Secretary, AWBI for information.

ANNEXURE

1. The AWBI has authorised the officials of the Department of Animal Husbandry of all the States and UTs not below the rank of Assistant Director / SDO (District Animal Husbandry Officer) for issuing the certificate under Rule 96 of the Transport of Animals (Amendment) Rules, 2001 vide letter F.No.11/2010-COAWBI dated 11th August, 2010 (copy enclosed) followed by letter dated 9th August, 2012, 25th July, 2014 and 06.05.2015 (copies attached) for streamlining the issue of the certificate under Rule 96 of the Transport of Animals (Amendment) Rules, 2001 by Railways and Trucks and for implementation of Transport of Animal Rules, 1978 and as amended in 2010.

2. As per Rule 2(b), "slaughter" means the killing or destruction of any animal for the purpose of food and includes all the processes and operations performed on all such animals in order to prepare it for being slaughtered. As per Rule 3 of Prevention of Cruelty to Animals (Slaughter House) Rules, 2001, no person shall slaughter any animal within a municipal area except in a slaughter house recognized or licensed by the concerned authority empowered under the law for the time being in force to do so. No animal shall be slaughtered, which is pregnant, or has an offspring less than 3 months old, or is under 3 months of age, or which has not been certified by a Veterinary Doctor that it is in a fit condition to be slaughtered.

3. The Food Safety and Standards Authority of India under the Ministry of Health and Family Welfare has issued a direction through vide No.1-988/FSSAI/Import/2014 dated 06.08.2014 that "animal" as an animal belonging to any of the species specified below: (i) Ovines (ii) Caprines (iii) Suillines (iv) Bovines and includes poultry & fish. It has also directed that the slaughtering of animals of any other species other than the one listed above is not permissible under the Food Safety and Standards Act, Rules and Regulations. This effectively means that camels cannot be slaughtered for food at all. Also, wherever, the cow slaughter prohibition Act is in force, then slaughtering of cows will be the violation of the law. The few judgments of the Hon'ble Supreme Court of India and High Court(s) are mentioned.

4. The Board had issued a circular no.9-2/2018-19/IC dated 30.05.2022 (copy enclosed) with a request to implement and circulate Regulatory compliance for slaughterhouses and meat shops.

5. Few judgments of the Hon'ble Supreme Court of India and High Courts regarding slaughter of animals are as below-

    i. Hon'ble Supreme Court of India in its judgment dated 16.11.1994 passed the order in the matter titled 'State of West Bengal' v. 'Ashutosh Lahiri and others', in Civil Appeals Nos. 6790 of 1983 with 6791 to 6794 of 1983.

    ii. Hon'ble Supreme Court of India judgment dated 7.5.2014 in the matter titled AWBI Vs Nagaraja & Ors-(SLP-(C). No. 11686 of 2007) has issued strong directions to all the agencies and instrumentalities of the State, including law enforcement authorities, to uphold animal right and protection laws. Failure to do so will be tantamount to failure to adhere to the same as well.

iii. The Hon'ble Supreme Court in the case of Laxmi Narain Modi vs. Union of India & Ors., WP(C) 309/2003 has passed exhaustive direction for the slaughterhouses and included that maintaining of record of all slaughterhouses, ensuring compliance of slaughterhouses with relevant laws, to ensure responsible waste management (effluent, viscera etc), as well as to the constitution of a State Slaughterhouse Monitoring Committee under chairmanship of Secretary of the Department of Urban Development in every State is a must for operating and maintaining of slaughter houses.

iv. The Kerala High Court in its judgment dated 05.12.2005 passed the order in the Writ Petition No. 30754 of 2005 titled 'Siraj vs District Collector'.

v. The Karnataka High Court in its judgment dated 06.01.2009 passed the order in the matter Writ Petition No. 14432 of 2008 titled 'Animal Rights Fund Vs. State of Karnataka'.

vi. The Hon'ble High Court of Madras in its order dated 6.8.2014 in W.P. No. 28313 of 2013, Blue Cross vs State of Tamil Nadu & Ors has given a Judgment that "the concerned authorities are directed to ensure compliance of the rules and norms of slaughtering."

vii. The Hon'ble High Court of Madras in its order dated 06.04.2022 in, W.P.No.11519 of 2015, People for Cattle in India Vs State of Tamil Nadu and others stated that *we dispose of it with a direction to the respondents to take all the measures to stop illegal trafficking of Camel or slaughtering.*

All the above orders are available in our website: www.awbi.gov.in

****